कार्यालय प्रधान मुख्य वन सरेंबिक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर—19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉपलेक्स, नया रायपुर, अटल नगर — 492002 (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - मू-प्रबंध)

दूरमाष: 0771 - 2512840

ई — मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू-प्रबंध/विविध/115-752//353

रायपुर, दिनांक 29/06/2021

प्रति.

प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर

विषय:-

Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for MGR (Merry-Go-Round) Railway line of Talaipalli Coal Mining of NTPC Limited area- 8.795 ha. regarding. पंजीयन क्र. FP/CG/RAIL/35461/2018

- 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर का पत्र संदर्भ:-क्रमांक/ FC-II/IROCH-04/2020-NGP/19 नागपुर दिनांक 31.03.2021
 - 2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक /1519 दिनांक 17.06.2021

विषयांतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के संदर्भित पत्र – 1 द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वन मण्डल अन्तर्गत MGR (Merry-Go-Round) Railway line of Talaipalli Coal Mining of NTPC Limited हेतु प्रस्तावित रकबा 8.795 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति के अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा संदर्भित पत्र—2 के माध्यम से प्रेषित किया है, जो बिन्दुवार निम्नानुसार है:—

S.No.	Conditions	Compliance
I	Legal status of the forest land shall remain	वन भूमि का वैधानिक स्वरुप अपरिवर्तित रहेगा।
	unchanged;	तदाशय का आवेदक संस्थान द्वारा सहमति एवं
		वचन पत्र दी गई है।
II (a)	Compensatory afforestation	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में 10
	a. Compensatory afforestation shall be	वर्षीय सिंचित वृक्षारोपण हेतु दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र
	taken up by the Forest Department over	रकबा 17.590 हे. के लिए उपयुक्त स्थल चयन कर
	17.590 ha. Degraded forest land in	वर्ष 2019—20 की दर राशि रु. 726270.00 अनुसार
	comp No. 190 at Village- Pulsada,	राशि रु. 12775090.00 (रुपये एक करोड़ सताईस
	Division-Raigarh, Dist -Raigarh at the	लाख पछहत्तर हजार नब्बे) मात्र तथा वर्तमान
	cost of the user agency. As far as	वित्तीय वर्ष 2021—22 की दर रु. 798897.00
	possible, a mixture of local indigenous	अनुसार अंतर की राशि रु. 1277508.00 (रुपये बारह
	species along with 10% RET species of	लाख सतत्तर हजार पांच सौ आठ रुपये) मात्र
	Raigarh District shall be planted and	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की कुल राशि रु. 14052598.00
	monoculture of any species may be	(रुपये एक करोड़ चालिस लाख बावन हजार पांच
	avoided;	सौ अन्ठान्वे मात्र) कैम्पा कार्पोरेशन बैंक में ई पोर्टल
		में माध्यम से RTGS क्रमांक Ref. No.
		CMS1947012310 दिनांक 09.04.2021 एव
		RTGS क्रमांक Ref. No. CMS1969854562

016

	.*	दिनांक 03.06.2021 को आवेदक संस्थान के द्वारा जमा कर दिया गया है (संलग्नक—1)।
ь	The Penal CA over equivalent 1.4 ha degraded forest area shall be raised and maintained by State Forest Department at the cost of project.	दाण्डिक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में 10 वर्षीय सिंचित वृक्षारोपण हेतु वित्तीय वर्ष 2019—20 की लागत अनुसार प्रति हे. 726270.00 की दर से रकबा 1.400 हे. का राशि रु. 1016778.00 (रुपये दस लाख सोलह हजार सात सो अठहत्तर मात्र) तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021—22 की दर रु. 798897.00 अनुसार अंतर की राशि रु. 1016778.00 (रुपये दस लाख सोलह हजार सात सो अठहत्तर मात्र) दाण्डिक वृक्षारोपण की कुल राशि रु. 1118456.00 (रुपये ग्यारह लाख अठारह हजार चार सो छप्पन मात्र) कैम्पा कार्पोरेशन बैंक में ई पोर्टल में माध्यम से RTGS क्रमांक Ref. No. CMS1947012310 दिनांक 09.04.2021 एवं RTGS क्रमांक Ref. No. CMS1969854562 दिनांक 03.06.2021 को आवेदक संस्थान के द्वारा जमा कर दिया गया है (संलग्नक—2)।
Ш	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;	आवेदित क्षेत्र को चार फीट ऊंची आर.सी.सी. पीलर्स गड़ाकर फारवर्ड एवं बैकवर्ड वीयरिंग अंकित किया जाकर सीमांकन कार्य किये जाने हेतु प्राक्कलित राशि अनुसार रु. 1532819.00 (रुपये पन्द्रह लाख बत्तीस हजार आठ सौ उन्नीस)मात्र वनमण्डलाधिकारी रायगढ़ के नाम से डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक 089845 दिनांक 02.06.2021 प्राप्त कर पी.डी. खाते में जमा कर दिया गया है।
IV(a)	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 8.795 Ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008. and 09-05-2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt. II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard;	शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) में आंकलित राशि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों दिनांक 28. 03.2008, 24.04.2008, एवं 09.05.2008 के आदेशानुसार तथा मंत्रालय के पत्रांक दिनांक 5—3/2007— एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार व्यपवर्तित की जाने वाली वनभूमि रकबा 8.795 है. में से खुला वन रकबा 7.446 है. भूमि के लिए शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) राशि इको वेल्यु क्लास— III खुला वन अनुसार प्रति है. 626000.00 अनुसार राशि रु. 4661196.00 (रुपये छियालीस लाख इक्सठ हजार एक सौ छियान्वे) मात्र एवं सघन वन रकबा 1.349 है. भूमि (NPV) राशि इको वेल्यु क्लास— III सघन वन अनुसार प्रति है. दर रु. 803000.00 अनुसार राशि रु. 1083247.00 (रुपये दस लाख तिरासी हजार दो सौ सैतालिस) मात्र कुल राशि रु. 5744443.00 (रुपये सन्तावन लाख चौवालीस हजार चार सौ तिरालीस) मात्र कैम्पा कार्पोरेशन बैंक में ई पोर्टल के माध्यम से RTGS क्रमांक Ref. No. CMS1947012310 दिनांक 09. 04.2021 को आवेदक संस्थान के द्वारा जमा कर दिया गया है।

TITA)	Additional amount of the NPV of the diverted	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रुप देने के
IV(b)	forest land if any becoming due after	पश्चात यदि शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) अतिरिक्त
	finalization of the same by the Hon'ble	राशि देय होती है, तो संस्थान द्वारा जमा किया
	Supreme Court of India on receipt of the report	जावेगा। इस आशय का संस्थान का वचन पत्र
	"	संलग्न है (संलग्नक-3)।
	from the expert committee, shall be charged by	46116 (461145-3)1
		·
	Agency.The User Agency shall fumish an	
	undertaking to this effect;	
V	User agency shall restrict the felling of trees to	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गई है। 422 वृक्षों
	minimum number in the diverted forest land	के विदोहन हेतु प्राक्कलन अनुसार राशि रु.
	and the tree shall be felled under the strict	574300.00 (पांच लाख चौहत्तर हजार तीन सौ
	supervision of the State Forest Department and	रुपये मात्र) वनमण्डलाधिकारी रायगढ़ के नाम से
	the cost of felling of trees shall be deposited	डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक 089845 दिनांक 02.06.2021
	by User agency with State Forest Department.	प्राप्त कर पी.डी. खाते में जमा कर दिया गया है
		(संलग्नक-4)।
VI	All the funds received from the user agency	उपरोक्तानुसार समस्त राशि Ad-hoc CAMPA
	under the project shall be transferred/	कार्पोरेशन बैंक में ई-पोर्टल के माध्यम से चालान
	deposited to CAMPA fund only through e-	जनरेट कराकर जमा किया गया है। इस हेतु संस्थान
	portal (https://parivesh.nic.in/);	द्वारा वचन पत्र दिया गया है।
VII	The complete compliance of the FRA, 2006	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन पत्र संलग्न
	shall be ensured by way of prescribed	है (संलग्नक–5)।
	certificate from the concerned District	
	Collector.	
VIII	The User Agency in consultation with the state	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन पत्र संलग्न
	forest department shall review the existing	है (संलग्नक–6)।
	Wildlife Conservation Plan and if any	
	additional requirements are needed, same	
	shall be added and implemented under the	
	instant proposal.	
IX	To improve the Forest / Tree cover and to	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन पत्र संलग्न
	reduce pollution, as mandated in National	है (संलग्नक-7)।
	Forest Policy, 1988 and Environmental	
	(Protection) Act, 1986 respectively, the User	
	Agency shall develop a separate nursery at one	
	or more places to raise at least 25,000	
	seedlings of forestry species along with	
	bamboo, fruit bearing, medicinal, ornamental	
	and indigenous/local every year. At least 50%	
	of seedlings shall be planted by User Agency	
	in the vicinity of project area including forest	
	area and for hand holding with local people	
	residing in vicinity of proposed project, User	
	Agency shall voluntary distribute remaining	
	50% of seedlings to them free of cost. A	
	compliance report including species wise	
	details of seedlings raised, location of	
	plantation area and details of villagers whom	
	seedlings have been distributed need to be	
	prepared every six month and submitted to	
	Regional Office of MoEF&CC.	

Х	Speed regulating signage will be erected along the railway line at regular intervals in the	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक—8)।
	Protected Areas / Forest Areas.	
XI	The user Agency in consultation with forest	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन पत्र संलग्न
	department shall provide under /over pass for	है (संलग्नक-9)।
	safe passage of wild animals at suitable places	
	as per wildlife of institute of India's manual	
	entitled "Eco-friendly measures to mitigate	
	impacts of linear infrastructure on wildlife "	
	published in 2016;	·
XII	User agency shall obtain Environment	पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृत प्राप्त कर ली गयी है।
7114	clearance as per the provisions of the	छायाप्रति संलग्न है (संलग्नक—10)।
	Environmental (Protection) Act, 1986, if	STAINE UCT TO TO TO
	applicable.) O O O O
XIII	The layout plan of the proposal shall not be	ले–आउट प्लान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नही
	changed without prior approval of Central	किया जावेगा। इस हेतु संस्थान का वचन पत्र संलग्न
	Government;	है (संलग्नक-11)।
37737	No labour camp shall be established on the	संस्थान द्वारा वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का लेबर
XIV	1	कैम्प स्थापित नहीं किया जावेगा। इस हेत् आवेदक
	forest land;	•
		संस्थान का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक—12)।
XV	Sufficient firewood, preferably the alternate	संस्थान द्वारा श्रमिकों को ईंधन उपलब्ध कराया
	fuel, shall be provided by the User Agency to	जावेगा, ताकि वनस्पत्तियों को किसी भी प्रकार का
	the labourer after purchasing the same from	नुकसान न हो इस हेतु संस्थान का वचन पत्र संलग्न
	_	है (संलग्नक—13)।
	the State Forest Department or the Forest	ह (सलग्मक—13)
	Development Corporation or any other legal	
	source of alternate fuel;	
XVI	The boundary of the diverted forest land shall	संस्थान द्वारा सहमति दिया गया है। वचन पत्र
	be suitably demarcated on ground at the	संलग्न है। 422 वृक्षों के विदोहन हेतु प्राक्कलन
	project cost, as per the directions of the	अनुसार राशि रु. 574300.00 (पांच लाख चौहत्तर
		हजार तीन सौ रुपये मात्र) वनमण्डलाधिकारी
	concerned Divisional Forest Officer;	
		रायगढ़ के नाम से डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक 089845
		दिनांक 02.06.2021 प्राप्त कर पी.डी. खाते में जमा
		कर दिया गया है (संलग्नक—14)।
vun	No additional or new path will be constructed	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन पत्र संलग्न
XVII	inside the forest area for transportation of	है (संलग्नक–15)।
	construction materials for execution of the	~ (····································
	ļ i	
	project work;	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
XVIII	The period of diversion under this approval	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन पत्र संलग्न
	shall be co-terminus with the period of lease to	है (संलग्नक–16)।
	be granted in favour of the user agency or the	
	project life, whichever is less;	
		शर्त आतेदक संस्थान को माना है। वचन पत्र संलगन
XIX		
		७ (यलभ्यक-17)।
_,	proposal;	
XX	The forest land proposed to be diverted shall	भारत सरकार के अनुमति के बिना प्रस्तावित
2.22		व्यपवर्तित भूमि को किसी भी व्यक्ति, विभाग या
	·	
	outer agencies, department or person without	
	prior approval of Govt. of India;	संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है (संलग्नक–18)।
XX	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन पत्र है (संलग्नक—17)। भारत सरकार के अनुमति के बिना प्र व्यपवर्तित भूमि को किसी भी व्यक्ति, विश् एजेन्सी को हस्तांतरण नहीं किया जावेगा।

XXI	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest	I -
	(Conservation)Act, 1980 and action would be	
	taken as per the MoEF&CC Guideline F. No.	
	11-42/2017-FC dt 29/01/2018;	
XXII	Any other condition that the Ministry of	1 -
	Environment, Forests & Climate Change may	है (संलग्नक—20)।
	stipulate from time to time in the interest of	
	conservation, protection and development of	
	forests & wildlife;	
XXIII	The compliance report shall be uploaded on e-	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन पत्र संलग्न
	portal (https://parivesh.nic.in/);	है

उपरोक्तानुसार प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्ती की पूर्ति आवेदनकर्ता द्वारा पूर्ण कर ली गई है। कृपया प्रकरण में अंतिम चरण (औपचारिक) स्वीकृति जारी करने करने हेतु भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को अग्रेषित करने का अनुरोध है।

संलग्न:-

संलग्नक १ से ७३ तक

एक प्रति में

वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित

(सुनील मिश्रा) अ.प्र.मु.व.स (मू—प्रबंध / वं. स. अ) छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115- 752/1354 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

रायपुर, दिनांक 29/06/2021

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (उत्पादन), अरण्य भवन, अटल नगर नवा रायप्र छत्तीसगढ़।

मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा जारी की गई प्रथम चरण की स्वीकृति दिनांक 31.03.2021 की शर्त क्रमांक XXIII सहपित भारत सरकार की नवीन गाईड लाईन के पैरा 11.2 के अनुसार आवेदक के व्यय पर सीमांकन उपरांत प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अनुमोदन उपरांत एक वर्ष के लिये कार्य करने की अनुमित जारी की जाती है। किये जाने वाले कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा निर्धारित किये गये जाबदर तथा नाम्स के अधीन रहेंगे तथा मुख्य वन संरक्षक इसका लेखा वन मंडलाधिकारियों से मासिक रूप से प्राप्त करेंगे।

वृक्षों के विदोहन का कार्य उत्पादन प्रभाग से विदोहन की अनुमित प्राप्त कर किया जावे एवं वन मंडलाधिकारी पी.
डी खाते से आहरण की अनुमित पृथक से भू—प्रबंध प्रभाग से प्राप्त करेंगे।

3. वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ वन मंडल, रायगढ़, छत्तीसगढ़।

4. **Chief General Manager**, NTPC Talaipali Coal Mining Project, Lailunga Road Gharghoda, Raigarh (C.G.).

अ.प्र.मु.व.स (भू—प्रबंध /वं. स. अ) छत्तीसगढ़